उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या- 21/2023/1100/94-स्टा0नि0-2-2023-700(70)/2023
लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, **उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति, 2023** के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ **नयी फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क/नयी इकाई** की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथादर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के **पैरा-6.4, पैरा-7.5 एवं पैरा-7.9** के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती हैं:-

उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति, 2023 का पैरा	**प्रयोजन/विवरण**	**छूट की सीमा**	**लिखत की प्रकृति**
1	**2**	**3**	**4**
पैरा-6.4	नयी फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना हेतु विकासकर्ता द्वारा भूमि की खरीद पर,	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण की लिखत पर
	फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण पार्क में व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा भूखण्ड की प्रथम खरीद पर	50%	
पैरा-7.5	राज्य भर में सभी नयी इकाईयों को इस नीति के अधीन इकाईयां स्थापित करने हेतु भूमि की खरीद और भूमि / शेड / भवन के पट्टे पर	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			लिखत पर
पैरा-7.9	विद्यमान उद्यम द्वारा नयी पूंजी निवेश के माध्यम से कम से कम 25 प्रतिशत तक अपने सकल ब्लाक को बढ़ाकर 25 प्रतिशत उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने पर	100 %	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण और अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा की लिखत पर

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोल्लिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त उद्योग, हस्तांतरण/पटटा लिखत पर यह पुष्टि करेंगे कि विलेख उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति, 2023 के अधीन निष्पादित की जा रही है तथा उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करेंगे।

2-ऐसे विलेख के रजिस्टीकरण के समय सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में स्टाम्प शुल्क में छूट के समतुल्य राशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी की अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।

3-अधिसूचित उपबंधों का क्रियान्वयन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी विद्यमान प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

4-उक्त अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध प्रशासकीय विभाग **(खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग)** द्वारा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

5-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

आज्ञा से,
लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21/2023/1100(1)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक,

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>संख्या- 21/2023/1100(2)/94-स्टा0नि0-2-2023, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
8- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 21/2023/1100/94-S.R.-2-2023-700(70)/2023, dated 14 September, 2023

Notification
Order

No. 21/2023/1100/94-S.R.-2-2023-700(70)/2023
Lucknow, dated 14 September, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing **New Pharma and Medical Device Park/ New Unit** under the **Uttar Pradesh Pharmaceutical and Medical Device Industry Policy, 2023** , in accordance with the **Para-6.4, Para-7.5 & Para-7.9** of the aforesaid Policy, for the purposes of the objectives specified therein, to the limit as mentioned in column 3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column 4 –

Para of Uttar Pradesh Pharmaceutical and Medical Device Industry Policy, 2023	Purpose / Description	Exemption Limit	Nature of Instrument
1	2	3	4
Para -6.4	On the purchase of land by the developer for establishing New Pharma and Medical Device Park	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899
	Individual buyers of first instance will be provided on purchase of plot in the Pharma and Medical Device Parks.	50%	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Para -7.5	All new units across the state on purchase of land and lease of land/shed/building to establish units under this policy.	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Lease of Article-35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899
Para-7.9	Where an existing enterprise increases its gross block by at least 25% and increase the production capacity by 25% through new capital investment.	100 %	On the instrument of conveyance under Clause-(a) of Article-23 & Lease of Article-35 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:

1- The District Magistrate/Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/Lease that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh Pharmaceutical and Medical Device Industry Policy, 2023** and also signs as a witness for the said purpose.

2- Irrevocable bank guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the **District Magistrate** of the concerned district shall be presented before the registration officer at the time of registration of such deed. The period of the Bank guarantee should not be less than five years.

3- The notified provisions shall be carried out according to the existent procedural guidelines issued by the Stamp and Registration Department.

4- The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government order issued by the Administrative Department (Food security and drug administration department) regarding the implementation of the policy.

5- The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy will not be eligible for a stamp duty remittance/exemption under this policy and notification.

By order,

Leena Johri

Pramukh sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।